

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2018/2514

जयपुर, दिनांक 7.6.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-बाडमेर ।

**विषय:-** ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स.	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	श्री लखनदान	ग्रा.प. बामणोर,पं.स. धनाउ (बाडमेर) से ग्राम पंचायत भोजरिया,पं0स चौहटन (बाडमेर) स्थानान्तरणाधीन (विभागीय आदेश 1906 दिनांक 02.05.2018)	निरस्त कर, यथावत ग्रा.प. बामणोर,पं0स0 धनाउ (बाडमेर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

**नोट:-**

- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4.यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव